है कि प्रार्थीया पप्पूदेवी एवं पप्पुड़ी दोनों एक ही महिला के दो नाम है। जिसमें प्रार्थीया का वास्तविक एवं पूर्ण नाम पप्पू देवी पत्नी रामलाल पुत्री बंशीलाल है।

चूंकि पप्पुड़ी एवं पप्पू देवी दोनो एक ही महिला के दो पृथक–पृथक नाम है प्रार्थीया का पूर्णरूपेण वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर आम बोल चाल की भाषा में प्रार्थीया का नाम पप्पुडी दर्ज हो चुका है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थीया को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि पपुड़ी एवं पप्पू देवी दोनो एक ही महिला है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये पप्पुड़ी के स्थान पर ग्राम ज्याणी के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 64 व ग्राम कठौती के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 784 में दर्ज खातेदार नाम पप्पुड़ी पुत्री बंशीलाल के स्थान पर वास्तविक नाम पप्पू देवी पुत्री बंशीलाल दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम ज्याणी के खाता संख्या 64 के खेत खसरा नंबर 14/375 रकबा 0.0647 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 22 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/371 रकबा 1.1331 हैक्टेयर तथा मौजा कठौती के खेत खसरा नंबर 1887 रकबा 2.6547 में सहखातेदार के रूप में दर्ज प्रार्थीया का नाम पप्पुड़ी पुत्री बंशीलाल के स्थान पर पप्पू देवी पुत्री बंशीलाल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

30/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner